बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक

अधि0 सं0–2/सी01–204/91 गृ0आ0 / माननीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा एस0एल0पी0 सं0–204/10 से उत्पन्न सिविल अपील सं0–857/2016 में दिनांक 03.02.2016 को पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक–11195 दिनांक 17.08.2016 एवं अधिसूचना सं0–11526 दिनांक 24.08.2016 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 36वीं बैच के अनुशासित निम्नांकित पदाधिकारियों के सेवा/संवर्ग को परिवर्तित करते हुए उनकी सेवा इस विभाग को उनके प्रारंभिक नियुक्ति (initial Appointment) के सेवा/संवर्ग में पुनः नियुक्ति की कार्रवाई हेतु दी गई है। सेवा प्राप्त होने के पश्चात् इन पदाधिकारियों द्वारा निम्नरूप से योगदान गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना में दिया गया है :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	पूर्व पदस्थापन का संवर्ग	परिवर्तित संवर्ग	बिहार पुलिस सेवा में योगदान की तिथि
1.	श्री अरविन्द ठाकुर	बिहार प्रशासनिक सेवा	बिहार पुलिस सेवा	01.09.2016
2.	श्री अमजद अली	बिहार प्रशासनिक सेवा	बिहार पुलिस सेवा	01.09.2016

अतः उपर्युक्त दोनों पदाधिकारियों का योगदान, उनके द्वारा दिये गये योगदान की तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं0–2/सी01–204/91 गृ0आ0 7778 /पटना, दिनांक 27.09.16

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के माध्यम से/महालेखाकार बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) कोषांग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित पदाधिकारी एवं विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इनके पदस्थापन के संबंध में प्रस्ताव भेजा जाय।

27/09/16
सरकार के उप सचिव।